संख्या– 1395 / सत्रह–म–08–10–7(27) / 84

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष
समस्त मत्स्य पालक विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ दिनांक 21 मई, 2008

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1083 / 57–म–2001–10–7(27) / 84 दिनांक 21 अप्रैल,2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदों में लाभार्थियों के चयन, मछुआ आवासों को इंदिरा आवास की भांति निर्मित कराये जाने, निर्माण हेतु भुगतान किये जाने आदि के सम्बन्ध में नीति निर्देश एवं प्रक्रिया के शासनादेश संख्याः 3824 / 57–म–96–10–7(27) / 84, दिनांक 03 अगस्त,1996 का संशोधन है के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 21 अप्रैल,2001, के प्रस्तर–2 को संशोधन के उपरान्त निम्नवत पढ़ा जाय।

2 "लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि की प्रथम किस्त लाभार्थियों की पात्रता एवं भूमि की जांच के पश्चात तथा द्वितीय किस्त लिंटर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के तत्काल पश्चात उपलब्ध करायी जायेगी"।

यह शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
ह0 /
(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1395(1) / सत्रह–म–08–10–7(27) / 84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
4– समस्त उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण,उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से
ह0 /
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव